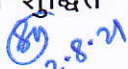


क्र.सं. / तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
02.09.2021	आदेश प्रस्तुत पी0 ए0 वाद संख्या-49/2020-21, आवेदक-नगदी महतो, पिता-स्व0 किशन महतो, साकिन-जरियाडीह, अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर के द्वारा संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-जरियाडीह, थाना नं0-146 का प्रधान नियुक्त करने हेतु समर्पित आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, मधुपुर से ज्ञापांक-391/डी0बी0 दिनांक-21.12.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो उनके पत्रांक-50/रा0, दिनांक-28.01.2021 के माध्यम से प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् मौजा के 16 आना रैयतों को सूचना निर्गत किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। विज्ञा अधिकारता को सुना तथा अंचल अधिकारी, मधुपुर द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, मधुपुर द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि प्रधानी पंजी-II में किशन महतो प्रधान पिता-स्व0 देवी महतो साकिम-जरियाडीह वार्षिक लगान-95.00/- (पंचानब्बे रुपया) अलावे सेस कहकर दर्ज है। पूर्व प्रधान किशन महतो की मृत्यु दिनांक-06.09.2020 को चुकी है। आवेदक-नगदी महतो अंतिम प्रधान स्व0 किशन महतो के ज्येष्ठ पुत्र है। मौजा में कुल रैयतों की संख्या-10 (दस) है। फलस्वरूप अंचल अधिकारी, मधुपुर द्वारा आवेदक को नियमानुसार प्रधान की नियुक्ति करने हेतु प्रतिवेदन समर्पित किये हैं। अतः अंचल अधिकारी, मधुपुर द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं मौजा के किसी रैयत से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के आधार पर आवेदक-नगदी महतो, पिता-स्व0 किशन महतो, साकिन-जरियाडीह, अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-जरियाडीह, थाना नं0-146 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। तदनुसार आवेदक कबुलियत एवं सुरक्षित राशि जमा करें, तत्पश्चात् नियुक्त प्रधान को पट्टा निर्गत करें। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, मधुपुर को भेजे। लेखापित एवं शुद्धित  2.8.21 अनुमण्डल पदाधिकारी मधुपुर।  2.8.21 अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर। आवेदक द्वारा कबुलियत एवं सुरक्षित राशि दाखिल किया गया। पट्टा निर्गत करें। अनुमण्डल पदाधिकारी मधुपुर।	